

17/10/24

अधिवक्तागण उपर | वकी अधिवक्ता द्वारा
आदिनांक तक प्रतिवादी वकी अधिवक्ता 0/ नॉन
8 व 4 वकी आदिनांक तक तलबी नहीं
करवायी गई है | वकी अधिवक्ता को
उक्त प्रतिवादीगण की तलबी आवश्यक
कानून से कराये जाने की दिशत की
गई | तलबी को ककाय में क्रायन्दा
तारीख पेरी पर पुकाण में कादेश-व-
मिचर- 5 सीपीसी के तहत कार्यवाही
आगत में लायी जावेगी | पत्रावली
वाले तलबी हेतु दिनांक 28/10/24
को पेश हो |
x

28.10.24

अधिवक्तागण उपर | वकी अधिवक्ता
को दिनांक 19.10.24 को अधिवक्तागण
SCPL की कार्यवाही की दिशत के वापस
आदिनांक 28/10/24 को 1.11.24 तक
की तलबी नहीं कराई है | ककाय 9/11/24
के अधिवक्तागण SCPL के तलबी
की जात प्रकण वकी अधिवक्तागण
दिनांक 28/10/24 को 1.11.24 को
दिनांक में दिनांक के हेतु के ककाय
दिनांक की वकी अधिवक्तागण
x



फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

औंकार सिंह व अन्य बनाम भजन सिंह व अन्य
वादपत्र संख्या 2021/116
online #

अन्तर्गत धारा 53,88,91,209 आरटीए एक्ट

दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
3.2021	<p>वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गुरप्रीत सिंह सिद्धू द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत. वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत. दर्ज पंजिका हो. प्रतिवादीगण की तलबी चहेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 24 सितम्बर, 2021 को पेश हो. ✓</p>	
7.21	<p>अभिपत्रागण उपस्थित, अधिवादीगण सं 5 ता 7, 10 की ओर से अभिपत्रा श्री सत्पाल सिंह एवं अधिवादी सं 13 की ओर से अधिवक्ता श्री भानु किशोर डायल का सम्मन प्राप्त शांति ल पत्रावली है। आज पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार मंडल के अध्यक्ष पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22.10.21 को पेश हो।</p>	
2.10.21	<p>आज पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार मंडल के अध्यक्ष पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15.11.21 को पेश हो।</p>	
11.21	<p>आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021, कैम्प ग्राम पंचायत को पेश हुई। पक्षकारान को आवेजें लगाई गयी। हाजिर नहीं है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3.1.22 को पेश हो।</p>	
22	<p>आज पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार मंडल के अध्यक्ष पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25.1.22 को पेश हो।</p>	
1.22	<p>आज बार सघ न कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8.2.22 को पेश हो।</p>	